



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र , 1943 (श०)

संख्या-438 राँची, गुरुवार,

26 अगस्त, 2021 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ।

अधिसूचना

26 जुलाई, 2021

एस.ओ. 04--

संख्या-02/श्रमा.का.(BOCWAAct)-02/2017श्र.नि.-769—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) झारखण्ड नियमावली, 2006 के नियम-294 तथा दिनांक-28.05.2021 को झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आहूत बैठक में लिये गये निर्णय एवं प्राप्त अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड राज्यपाल राज्य में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निबंधित लाभुक श्रमिकों के हित में “मेधावी पुत्र / पुत्री छात्रवृत्ति योजना” में आंशिक संशोधन करते हुये इसके लिये निम्नानुसार व्यय की अनुमति प्रदान करते हैं अर्थात् **मेधावी पुत्र / पुत्री छात्रवृत्ति योजना :-**

कोविड-19 आपदा महामारी के दृष्टिपथ बोर्ड के निबंधित लाभुकों के द्वारा योजना का लाभ आवेदन भरने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 का अंक पत्र जमा नहीं किये जाने की स्थिति में भी “मेधावी पुत्र / पुत्री छात्रवृत्ति योजना” का लाभ दिया जायेगा ।

2. यह अधिसूचना सिर्फ वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये ही लागू होगी। तत्पश्चात् पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-02/श्रमा.का.(BOCW Act)-02/2017श्र.नि.-642, दिनांक-31.03.2018 यथावत् प्रभावी रहेगी।
3. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह./- (अस्पष्ट),
सरकार के अवर सचिव ।
